

प्रेषक,

एस.के. मुट्टू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि०,
सेक्टर-1-सी-10, डिफेंस कालोनी, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग:

देहरादून: दिनांक 07 ^{फरवरी} ~~दिसम्बर~~ 2004, 2005

विषय:- अनसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु शिल्पी ग्राम योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-53/व.मा.वि./2003 दिनांक 16 अप्रैल 2003 के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तरांचल की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.50 प्रतिशत है। इस समुदाय में हस्तशिल्प पारम्परिक रूप से प्रचलित रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्त शिल्प कौशल हस्तान्तरित होता रहा है। आधुनिक बाजार, आर्थिकी तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ राजकीय सेवाओं में भागीदारी तथा आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में हस्त शिल्प में संलग्न परिवार उनके द्वारा उत्पादित सामग्री एवं गुणवत्ता में ह्रास की स्थिति उत्पन्न हुई है। नवोदित राज्य उत्तरांचल में लुप्त हो रहे शिल्पों के विकास के लिये शिल्पी ग्राम नाम की एक महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से पारम्परिक शिल्प कौशल को संरक्षण प्राप्त होगा साथ ही इन परम्परागत शिल्पों में संलग्न शिल्पी अपने कौशल के आधार पर समुचित आय अर्जित करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे।

उद्देश्य:- योजना के सम्बन्ध में विस्तृत रूपरेखा निम्नवत होगी:-

1- परम्परागत शिल्पों को रोजगारपस्क आयजनित गतिविधि के रूप में विकसित करना। सर्वप्रथम परम्परागत शिल्पों की पहचान, इनमें संलग्न शिल्पियों का चिन्हांकन करना तथा उनकी दक्षता के अनुसार कुशल एवं अकुशल की श्रेणी में वर्गीकरण करना एवं पंजीकरण करना।

2- इन शिल्पों में संलग्न परिवारों को समुचित प्रशिक्षण देना ताकि उनकी कार्य कुशलता एवं दक्षता में अभिवृद्धि की जा सके।

3- नई तकनीकों एवं डिजायनों का प्रसार एवं अनुसन्धान करना।

4- शिल्पी परिवारों को शिल्प अभिमुखीकरण प्रशिक्षण देना तथा शिल्पों के बारे में उनकी सम्पूर्ण जागरूकता स्तर की अभिवृद्धि करना।

21/2/05

21/2/05

- 5- कौशल प्राप्त शिल्पी की पहचान करना तथा उसे पंजीकृत करना।
- 6- शिल्पियों के सम्बन्ध में आधारभूत सूचना तैयार करना जिसके आधार पर वित्तपोषण, कच्चे माल की आपूर्ति, उत्पादित सामग्री का संकलन एवं विपणन आदि की व्यवस्था करवाना।
- 7- विपणन प्रोत्साहन हेतु हाट, मेले, प्रदर्शनी आदि में उत्पादों को विक्रय करने के लिये सुविधा प्रदान करना।
- 8- शिल्प एवं शिल्पकारों से सम्बन्धित विषयों पर परिचर्चाएं, संगोष्ठी एवं कार्य-शालाएं आयोजित करना।
- 9- कच्चे माल के डिपो यथा: ऊन बैंक, लकड़ी बैंक की स्थापना करना। इसी प्रकार तैयार माल के लिये गोदाम, हाट, इम्पोरियम बनाना।
- 10- शिल्पी परिवारों हेतु कल्याण निधि की स्थापना करना।
- 11- राज्य में गठित विभिन्न बोर्ड यथा: उत्तरांचल बम्बू एण्ड फाइबर डेवलपमेन्ट बोर्ड, शीप एण्ड ऊल डेवलपमेन्ट बोर्ड के साथ योजना के उत्थान हेतु समन्वय स्थापित करना।

परियोजना प्रथमतः पांच वर्ष की होगी। योजना के मुख्यतः निम्न घटक होंगे:-

- 1- सर्वेक्षण
- 2- प्रशिक्षण
- 3- वित्तपोषण
- 4- डिजायन डेवलपमेन्ट एवं तकनीकी सहयोग
- 5- उत्पादन
- 6- विपणन
- 7- सहायक सुविधाएं
- 8- अवस्थापना विकास

सर्वेक्षण अध्ययन एवं सतत अनुश्रवण:

चूंकि योजना का मुख्य उद्देश्य शिल्प ग्राम एवं शिल्पियों का विकास है। इसलिये सर्वप्रथम राज्य के शिल्पी ग्रामों का चिन्हांकन तथा मुख्य शिल्प एवं शिल्पियों की पहचान व पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। यद्यपि शिल्प ग्राम योजना आरम्भ करने के बाद सर्वेक्षण की कार्यवाही को विकासखण्डों के माध्यम से कराया गया है किन्तु यह

(3)

सर्वेक्षण सर्वथा त्रुटिहीन नहीं पाया गया । साथ ही राज्य के 95 विकासखण्डों में से केवल 80 विकासखण्डों में ही सर्वेक्षण सम्पन्न हो पाया है। इसलिये एक सुनियोजित एवं त्रुटिरहित सर्वेक्षण कराया जायेगा, जिसे समय-समय पर अद्यावधिक किया जायेगा। इसके अतिरिक्त योजना क्रियान्वयन के अध्ययन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की कार्यवाही भी किया जाना आवश्यक है। क्योंकि इससे योजना की सफलता, प्रगति एवं क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु प्रति वर्ष रू० 10.00 लाख की एकमुश्त धनराशि व्यय की जायेगी। इसका उपयोग सर्वेक्षण, अध्ययन एवं सतत अनुश्रवण हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति, विशेषज्ञ सेवाओं को प्राप्त करने, शिल्प ग्रामों, शिल्पियों एवं शिल्पी परिवारों के विषय में आधारभूत डाटा एवं सूचनाएं तैयार करने तथा शिल्पियों के पहचान पत्र बनाने में किया जायेगा।

योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के निम्न उद्देश्य होंगे:-

- 1- जागरूकता सृजन, प्रचार-प्रसार
- 2- अभिमुखीकरण
- 3- कौशल वृद्धि
- 4- नवीन डिजायन विकास व तकनीक का समावेश
- 5- विपणन व बाजार की प्रवृत्तियों की जानकारी देना

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु त्रिस्तरीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जागरूकता सृजन एवं अभिमुखीकरण:

- 1- चयनित शिल्पियों को योजना की जानकारी देने हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा जिसमें शिल्पियों को योजना की पूर्ण जानकारी दी जायेगी।
- 2- शिल्पियों द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों के नमूने भी प्राप्त किये जायेंगे ताकि उनकी दक्षता के स्तर का आँकलन किया जा सके।
- 3- इस गोष्ठी में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। ताकि सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों की पुष्टि हो सके।
- 4- इस शिविर में शिल्पियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु संचालित अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी जायेगी ताकि वे विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकें।
- 5- प्रशिक्षण के अन्तिम चरण में 'क' एवं 'ख' श्रेणी के शिल्पियों को पहचान पत्र भी जारी किये जायेंगे।

6- शिल्पी के बारे में एक प्रारूप पर जानकारी संकलित की जायेगी जिसमें उनके मुख्य व्यवसाय और पूरक व्यवसाय का विवरण प्राप्त किया जायेगा। यह भी जानकारी प्राप्त की जायेगी कि वर्तमान में वह उस शिल्प विशेष के उत्पाद से कितनी आय प्राप्त कर रहा है।

7- यह प्रशिक्षण प्रति विकासखण्ड 25 शिल्पियों के समूह में कराया जायेगा।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण:

1- यह प्रशिक्षण तीन माह का होगा।

2- 'ख' श्रेणी के शिल्पी को प्रशिक्षित करने हेतु 'क' श्रेणी के शिल्पी में से प्रशिक्षक का चयन करने के लिये विकासखण्ड स्तर पर एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी को समन्वयक बनाया जायेगा। 'क' श्रेणी के शिल्पी को प्रशिक्षक के रूप में चयन करते वक्त उसके द्वारा उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता को आधार बनाया जायेगा। चयनित प्रशिक्षक को प्रति माह उचित मानदेय दिया जायेगा। प्रशिक्षक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रशिक्षण केन्द्र में रखा जायेगा ताकि प्रशिक्षार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तु की उससे तुलना की जा सके।

3- प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या 20 तथा न्यूनतम 10 होगी।

4- प्रशिक्षण में आने वाले समस्त व्यय को मानकीकृत किया जायेगा। एक जनपद के विभिन्न ग्रामों में दिये जाने वाले शिल्प विशेष की प्रशिक्षण लागत एक समान होगी। पृथक-पृथक जनपदों में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत इस लागत में भिन्नता हो सकती है किन्तु यह भिन्नता 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

5- जिन शिल्प ग्रामों में प्रशिक्षण दिया जायेगा उस ग्राम के प्रवेश मार्ग में प्रशिक्षण का विवरण दर्शाता हुआ एक साइन बोर्ड लगाया जायेगा जिसमें प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षण की अवधि आदि अंकित की जायगी। साथ ही प्रशिक्षण स्थान में भी एक बोर्ड लगेगा जिसमें प्रशिक्षक का नाम, व्यवसाय, प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि, प्रशिक्षण का समय, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अंकित होगी।

6- प्रशिक्षण स्थल में एक निरीक्षण पंजिका भी रखी जायेगी जिस पर प्रशिक्षण का निरीक्षण करने वाले आगन्तुक अपना मन्तव्य अंकित कर सकेंगे।

7- प्रशिक्षणार्थी 14 वर्ष से कम उम्र का नहीं होगा।

8- प्रशिक्षण की लागत की धनराशि प्रशिक्षक के नाम खोले गये खाते में डाली जायेगी।

9- प्रशिक्षक से एक अनुबन्ध भी सम्पादित किया जायेगा।

(5)

10- प्रशिक्षण के लिये कच्चे माल के क्रय का दायित्व प्रशिक्षक का होगा किन्तु ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा क्रय किये गये कच्चे माल की पुष्टि की जाय कच्चे माल की आमद की पुष्टि ग्राम पंचायत के सदस्य अथवा पदाधिकारी द्वारा किये जाने के बाद ही उपयोग में लाया जायेगा। प्रशिक्षण में कच्चा माल का क्षरण 30 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा। कच्चे माल का पूरा विवरण एक पंजिका में निम्न प्रारूप में भरा जायेगा।

कच्चा माल	इकाई नग/किलो	दर प्रति इकाई	कुल मात्रा नग/किलो	कुल खरीद की धन0	खरीद की तिथि	किससे खरीदा गया	जारी करने की तिथि/मात्रा	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11- प्रशिक्षण केन्द्र में तीन प्रकार की पंजिकाएं रखी जायेंगी।

1- उपस्थिति पंजिका

2- आगन्तुक पंजिका

3- भण्डारण पंजिका

12- प्रशिक्षण की अवधि कार्य दिवस में चार घण्टे की होगी।

13- वर्ष में औसतन प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम पांच शिल्प ग्रामों में यह प्रशिक्षण चलाया जायेगा। प्रथम वर्ष हेतु प्रति प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना पर धनराशि का विवरण निम्न प्रकार होगा। ये दरें समय-समय पर राज्य स्तरीय समीक्षा समिति के परामर्शानुसार संशोधित की जायेंगी।

1- उपकरण रू0 300/- प्रति व्यक्ति 20 व्यक्तियों हेतु 6,000/-मात्र

2- रू0 500/- प्रति माह भवन किराया 3 माह हेतु रू0 1500/- (नई)

3- आरम्भिक तैयारियां यथा: बोर्ड आदि के निर्माण हेतु एकमुश्त धनराशि

रू0 3000/- मात्र

4- आकस्मिक व्यय प्रतिमाह रू0 1000/- मात्र की दर से तीन माह हेतु रू0 3000/- मात्र

5- प्रशिक्षक का मानदेय प्रति माह रू0 3000/-कुल तीन माह हेतु रू0 9000/- मात्र

6- प्रशिक्षणार्थियों हेतु जलपान के लिये रू0 125/-प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से 20 व्यक्तियों हेतु रू0 7500/-मात्र

7- कच्चा माल रू0 500/- प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से कुल 20 व्यक्तियों
हेतु रू0 30,000/- मात्र

प्रशिक्षण हेतु क्रय कच्चे माल में 30 प्रतिशत क्षरण मानते हुए प्रशिक्षण से होने वाले वस्तुओं की मात्रा तथा प्रति इकाई कीमत पूर्व से निर्धारित की जायेगी। उत्पादित वस्तुओं की कीमत का 25 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षक द्वारा विभाग को लौटाई जायेगी जिसे प्रशिक्षक को दी जाने वाली द्वितीय किस्त की धनराशि से समायोजित किया जायेगा। 25 प्रतिशत सामग्री प्रशिक्षक तथा 50 प्रतिशत सामग्री प्रशिक्षणार्थी अपने उपयोग हेतु अथवा विक्रय हेतु स्वयं के पास रखेंगे। प्रशिक्षक को प्रथम किस्त में भवन किराया एवं मानदेय को छोड़-कर सभी मदों में निर्धारित धनराशि का पूर्ण भुगतान किया जायेगा। भवन किराया एवं मानदेय की धनराशि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उत्पादित सामग्री की 25 प्रतिशत धनराशि समायोजित करते हुए भुगतान की जायेगी।

व्यवसायिक प्रशिक्षण:

- 1- व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक का चयन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा चयन समिति के माध्यम से कराया जायेगा।
- 2- व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए उन्हीं शिल्पियों का चयन किया जायेगा जिसने प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।
- 3- तृतीय चरण का यह व्यवसायिक प्रशिक्षण 6 माह की अवधि का होगा।
- 4- व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये एक शिल्पी ग्राम से प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 10 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।
- 5- व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान उत्पादित वस्तुओं में से 50 प्रतिशत उत्पाद 'क' श्रेणी के प्रशिक्षक द्वारा विक्रय किया जायेगा एवं धनराशि विभाग में जमा की जायेगी। जिससे प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा सकेंगी। 50 प्रतिशत वस्तुओं में से 25 प्रतिशत सामग्री विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी जिसका उपयोग प्रदर्शनी लगाने, विशिष्ट स्थानों में प्रचारार्थ डिस्प्ले किया जायेगा तथा विशिष्ट पर्यटकों, यात्रियों को स्मृति के रूप में उपहार स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा। अवशेष 25 प्रतिशत सामग्री प्रशिक्षणार्थी के पास रहेगी।

(6) व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्रति प्रशिक्षण केन्द्र 10 प्रशिक्षणार्थियों की संख्या मानते हुए सभी विकासखण्डों में एक वर्ष में कुल 4750 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। चूंकि यह प्रशिक्षण छः माह का होगा एवं उसकी गुणवत्ता प्रारम्भिक प्रशिक्षण की तुलना में बढ़ाई जानी होगी इसलिये इस प्रशिक्षण में कच्चे माल का क्षरण 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(7)

प्रत्येक विकासखण्ड में प्रति वर्ष औसतन 5 शिल्प ग्रामों में यह प्रशिक्षण चलाया जायेगा प्रति प्रशिक्षण केन्द्र आने वाले धनराशि का विवरण निम्न प्रकार होगा।

- 1- उपकरण रू० 1000/- प्रति व्यक्ति कुल 10 व्यक्तियों हेतु रू० 10000/-मात्र
- 2- रू० 500/-प्रतिमाह भवन किराया छः माह हेतु रू० 3000/-मात्र
- 3- आरम्भिक तैयारियों यथा: बोर्ड आदि के निर्माण हेतु एकमुश्त धनराशि रू० 3000/-मात्र
- 4- आकस्मिक व्यय प्रतिमाह रू० 1000/- की दर से तीन माह हेतु रू० 3000/-मात्र
- 5- प्रशिक्षक का मानदेय प्रतिमाह रू० 3000/- कुल छः माह हेतु रू० 18000/-मात्र
- 6- प्रशिक्षार्थियों हेतु जलपान रू० 125/- प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 व्यक्तियों हेतु 7500/-मात्र
- 7- कच्चा माल रू० 1000/-प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कुल 10 व्यक्तियों हेतु रू० 30000/-मात्र

प्रशिक्षक को 1 से 7 में प्रदर्शित मदों की धनराशि का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। प्रथम किस्त में मद संख्या 2 एवं 5 को छोड़ते हुए सभी मदों की धनराशि का शत - प्रतिशत भुगतान किया जायेगा जब कि मद संख्या 2 एवं 5 में वर्णित क्रमशः भवन किराया एवं मानदेय का भुगतान प्रशिक्षण समाप्ति पर किया जायेगा।

उपरोक्त दरें अलग-अलग शिल्पों में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। किन्तु उपरोक्तानुसार निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। तथा राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की सहमति के आधार पर ही परिवर्तनीय होंगी।

(7) चूंकि व्यवसायिक प्रशिक्षण अपने आप में उत्पादन केन्द्रित भी होगा इसलिये स्थानीय 'क' श्रेणी के शिल्पी का प्रशिक्षण विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा किया जाना आवश्यक है। विशेषज्ञ प्रशिक्षक राज्य से बाहर के प्रदेशों से भी लाये जायेंगे। जैसे :- बांस एवं रिंगाल के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों से प्रशिक्षक लाये जायेंगे और इस सन्दर्भ में उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद से समन्वय रखा जायेगा। इसी प्रकार ऊनी वस्तुओं के निर्माण के प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश के भदोही एवं मिर्जापुर जनपदों से विशेषज्ञ प्रशिक्षक आमन्त्रित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल शीप एवं ऊल डेवलपमेन्ट बोर्ड से भी समन्वय रखा जायेगा। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर आने वाले व्यय हेतु एकमुश्त धनराशि रू० 10.00 लाख प्रस्तावित की गई है। *with*

(4) उत्पादन:-

1- तृतीय चरण के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता की समीक्षा की जायेगी कि क्या प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तु बाजार में प्रतिस्पर्धा में टिकेगी अथवा नहीं। यदि गुणवत्ता में कमी होगी तो विशेष प्राविधान के तहत प्रशिक्षण को अधिकतम तीन माह तथा अधिकतम 20 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों के लिये बढ़ाया जायेगा। इसका निर्णय प्रशिक्षक द्वारा दिया जायेगा।

(2) यदि वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सही बनती है तो प्रशिक्षण केन्द्र को उत्पादन केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा। 'क'श्रेणी के शिल्पी सहित अन्य प्रशिक्षित शिल्पियों द्वारा उत्पादन हेतु स्वयं सहायता समूह का गठन किया जायेगा और वह समूह विभाग में पंजीकृत होगा। इस स्वयं सहायता समूह को सम्बन्धित शिल्प के लिये कच्चे माल की आपूर्ति हेतु कच्चा माल बैंक विकसित करने के लिये प्रशासन द्वारा एकमुश्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा जिसे संचालित कर स्वयं सहायता समूह भविष्य के लिये माल की आपूर्ति एवं उत्पादित वस्तु के विपणन की कार्यवाही करेगा। इस मद में कितनी धनराशि प्रदान की जायेगी इसका निर्णय राज्य स्तरीय समीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। स्वयं सहायता समूह का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा जिसमें उद्योग विभाग, हस्त शिल्प परिषद, अन्य विशेषज्ञ बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला/क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त 'क' श्रेणी के शिल्पी भी सदस्य के रूप में होंगे। स्वयं सहायता समूह उत्पादन, विक्री के साथ-साथ कच्चे माल के डिपो की तरह कार्य करेगा और अपने समूह के अतिरिक्त अन्य शिल्पियों को भी विपणन सहायता प्रदान करेगा।

विपणन :- उत्पादित वस्तुओं के विक्री हेतु विपणन सहयोग की निम्न व्यवस्था होगी:-

(1) वस्तु की कीमत तय बाजार की स्थितियों एवं लागत के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(2) उत्पादित वस्तुओं का प्रचार कराया जायेगा।

(3) वस्तुओं के विपणन हेतु सम्भावित बाजार तथा वस्तुओं की मांग का सर्वेक्षण कराया जायेगा।

(4) शिल्पियों से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के नमूने प्राप्त किये जायेंगे एवं उन्हें यात्रा मार्ग में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित केन्द्रों में प्रदर्शित किया जायेगा एवं प्रतिष्ठित आगन्तुकों को उपहार स्वरूप दिया जायेगा ताकि पर्यटकों में विक्री को बढ़ावा मिल सके एवं शिल्पी ग्राम योजना पर्यटन के साथ जुड़ सके।

(5) विपणन सहायता के अन्तर्गत ऐसी सहकारी समिति व स्वयं सहायता समूह जिसमें शिल्पियों की बाहुल्यता हो उसे निःशुल्क भूमि की उपलब्धता पर साज-सज्जा से सुसज्जित दुकानें तैयार कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त सामान ढुलान की रसीद प्रस्तुत करने पर ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी दी जायेगी। कम से कम दो व्यक्तियों को वास्तविक किराया भाड़े का भुगतान किया जायेगा और उचित दैनिक भत्ता भी दिया जायेगा।

(6) केन्द्रीय स्थलों पर स्थायी हाट निर्माण किया जायेगा तथा सार्वजनिक स्थान पर अस्थाई टेंट के रूप में भी सुविधा दी जायेगी और ऐसे स्थाई भवनों के लिये शिल्पियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे अथवा शिल्पियों से ही निविदायें भी आमन्त्रित की जायेंगी।

(7) शिल्प उत्पादों के उत्तरांचल ब्राण्ड का मानकीकरण किया जायेगा तथा: उत्तरांचल ऊनी कार्पेट आदि।

तकनीकी सहायता:-

(1) तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत मुख्यतः उत्पादों के डिजाइन विकास तथा नये-नये उपकरण तथा आधुनिक मशीनों के उपयोग एवं अनुसन्धान हेतु सहायता प्रदान की जायेगी

(2) इस प्रकार विपणन एवं तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत एकमुश्त रू० 10.00 लाख की व्यवस्था की जायेगी।

सहायक सुविधाएं:-

(1) इसके अन्तर्गत शिल्पियों को परामर्श एवं भ्रमण कराया जायेगा जिसके तहत अन्य पर्वतीय राज्यों अथवा ऐसे राज्यों में भ्रमण कराया जायेगा जहां हस्त शिल्प के क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ हो और अनुसूचित जाति के शिल्पी बहुलता में हो।

(2) शिल्पियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने के लिये उत्कृष्ट शिल्पियों को पुरुष्कार आदि की व्यवस्था भी की जायेगी। इसके अतिरिक्त शिल्प विकास गतिविधि आदि के संचालन, राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, मेलों व गोष्ठियों में इन उत्पादकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु आने-जाने व ठहरने की व्यवस्था कराई जायेगी। इस प्रकार यातायात, परामर्श, भ्रमण और उत्कृष्टता पुरुष्कार के लिए रू० 10.00 लाख की एकमुश्त धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

अवस्थापना विकास:-

व्यवसाय विकास हेतु अवस्थापना विकास एक आवश्यक शर्त है। अवस्थापनाओं में मुख्यतः संचार सुविधा, कच्चे माल एवं बाजार की सुविधा, सामुदायिक सुविधाएं, विपणन की गतिविधियों का संगठन एवं उत्पादकता वृद्धि सम्मिलित है।

1
12/11/17

अवस्थापना विकास के अन्तर्गत प्रथम चरण में दो केन्द्रीयकृत शिल्प ग्राम/इम्पोरियम उपयुक्त स्थान पर खोलना प्रस्तावित है जिसके लिए रुपये 50 लाख प्रति केन्द्र की व्यवस्था की जाएगी।

शिल्प सम्बर्द्धन एवं शिल्पी कल्याण

शिल्प सम्बर्द्धन के अन्तर्गत गोष्ठियों का आयोजन उत्कृष्टता पुरस्कार पुरातन शिल्प कला एवं आधुनिक डिजाइन से बनाए गए उत्कृष्ट शिल्प वस्तुओं का संग्रहण कराया जाएगा। शिल्पी कल्याण के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जायेंगे तथा राज्य स्तरीय समीक्षा समिति के परामर्श से शिल्पी कल्याण निधि भी बनाई जाएगी। इस मद में एकमुश्त रुपये 10 लाख धनराशि की व्यवस्था की जाती है।


योजना का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं समीक्षा

योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निमित्त सतत् अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु एक राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में निम्नवत किया जाता है -

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।
2. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तरांचल बम्बू एण्ड फाइबर डेवलपमेन्ट बोर्ड।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तरांचल सीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड।
4. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तरांचल लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड।
5. समन्वयक, उत्तरांचल आर्गनिक बोर्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन निगम।
7. निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि।
8. महाप्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।

यह समिति समय-समय पर योजना की प्रगति समीक्षा एवं योजना में निहित वित्तीय एवं भौतिक मानकों में संसोधन हेतु मार्गदर्शन देने तथा व्यय की मदों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के लिए सक्षम होगी। साथ ही यह समिति इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में गठित विभिन्न विशेषज्ञ बोर्ड, जिनके प्रमुख इसके सदस्य हैं, से समन्वय स्थापित करने एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का उपयोग करने के लिए भी सक्षम होगी।

भवदीय,


(एस. के. मुद्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या : A-287(1)/XVII(1)/2004-12(बजट)/2004, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. प्रबन्ध निदेशक, बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. वित्त अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कै. एस. दरियाल)
अपर सचिव।